भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1041
बुधवार, 10 फरवरी, 2021/21 माघ, 1942 (शक)

महामारी के कारण नौकरियां जाना

1041. श्री के.आर.सुरेश रेड्डीः
डा. अमी याज्ञिकः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे युवाओं ने अपने रोजगार/नौकरियां खो दी हैं;
(ख) यदि हां, तो इस वैश्विक महामारी के दौरान अपनी नौकरियां खोने वाले लोगों को रोजगार/नौकरी प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और
(ग) इस वैश्विक महामारी की अवधि के दौरान पहले अपनी नौकरी खो चुके कितने व्यक्तियों को नौकरियां दी गई हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं। कोविड-19 की चुनौतियों एवं खतरों के समाधान के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि की पूर्वावस्था बनाने हेतु सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) प्रारंभ किया है। 02-02-2021 को जीकेआरवाई के तहत छह राज्यों में कुल सृजित रोजगार (मानव दिवसों मे) नीचे दिया गया हैः-

राज्य	सृजित रोजगार (मानव दिवसों में)
बिहार	11,19,48,805
झारखंड	1,32,51,929
मध्य प्रदेश	9,99,01,931
ओडिशा	2,30,31,641
राजस्थान	15,39,17,007
उत्तर प्रदेश	10,58,17,358
योग	50,78,68,671

भारत सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के अंशदान और कर्मचारियों के के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान किया है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत, 38.82 लाख पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में 2567.66 करोड़ रु. डाले गए थे।

*****